

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक .8(ग)(16)नियम/डीएलबी/16/32702 दिनांक 04.9.17 में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है:-

नगर निगम कोटा दक्षिण/उत्तर के लिए पशुओं के पकड़े जाने पर उनकी रिहाई हेतु वसूल की जाने वाली निर्धारित दर:-

1. गाय - 5600/-रूपये (जुर्माना राशि तथा दुलाई राशि एवं चराई राशि सहित)
2. बछड़ी- 4000/-रूपये (जुर्माना राशि तथा दुलाई राशि एवं चराई राशि सहित)

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(16)नियम/डीएलबी/पार्ट/ 6303-6313 जयपुर, दिनांक 28/6/2023
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
03. जिला कलेक्टर, कोटा
04. महापौर, नगर निगम कोटा दक्षिण/उत्तर
05. आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण/उत्तर
06. अध्यक्ष, गोशाला समिति नगर निगम कोटा दक्षिण
07. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन करने एवं 10 प्रतियां प्रस्तुत कराने हेतु प्रस्तुत है।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली। तं897



वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी